न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2185–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–9–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 184/अपील/2007–08.

खतीब अहमद आ. हबीब अहमद
निवासी ग्राम बोरदा
तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– मोहम्मद तारिक खां आत्मज मोहम्मद अली
2– श्रीमती सुलमा बेगम पुत्री मोहम्मद अली
3– श्रीमती रसीकुन निशा पुत्री मोहम्मद अली
निवासीगण बरखेड़ा
तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मोहन ठाकुर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 28 नवम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 19–9–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक एवं अन्य 2 द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, ओबेदुल्लागंज के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बोरदा, तहसील गोहरगंज स्थित भूमि सर्वे कमांक

41 रकबा 53.35 एकड़ में से 12.16 एकड़ भूमि श्रीमती हयातुन निशा के स्वत्व, स्वामित्व की है तथा शेष भूमि 41.19 एकड़ आवेदक खतीब अहमद एवं नजीम अहमद के पिता तथा श्रीमती अनीसुन निशा के पति स्व. हबीब अहमद के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी, जिस पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा 20.59 एकड, तथा अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा 20.60 एकड़ पर अपने नाम नामांतरण करा लिया था । उक्त नामांतरण को निरस्त करने हेतु स्व. हबीब अहमद द्वारा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था । व्यवहार न्याय़ालय द्वारा नामांतरण आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिया गया । आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 124 अ/96 प्रस्तुत किया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 23–7–2004 को आदेश पारित कर व्यवहार वाद निरस्त किया गया । प्रश्नाधीन भूमि में वर्तमान में मुस्लिम विधि के अनुसार 0.75 पैसे पर आवेदक खतीब अहमद एवं नजीब अहमद का तथा 0.25 पैसे पर श्रीमती अनीसुन निशा का हिस्सा है । अतः उक्त भूमि में से 15.44 एकड़ पर आवेदक का व 15.45 एकड़ पर नजीब नजीम अहमद, 10.30 एकड़ पर श्रीमती अनीसुन निशा का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने बावत् आदेशित किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–6/अपर तह0/2004–2005 दर्ज किया जाकर दिनांक 27–4–05 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि में से 15.44 एकड़ पर आवेदक खतीब अहमद, 15.45 एकड़ पर नजीब अहमद एवं 10.30 एकड़ पर अनीसुन निशा का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गोंहरगंज जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–1–2008 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि आदेश में उठाए गए सभी बिन्दुओं पर सूक्ष्मता से जांच की जाकर अनावेदकगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उन्हें साक्ष्य/दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का मौका दिया जाकर व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विधिक रीति से गुण–दोष के आधार पर पुनः आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय

अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–9–2011 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण उपस्थित हुए हैं, और अनावेदकगण यह आधार लिया जा रहा है कि अनावेदिका कमांक 3 को तहसील न्यायालय में सूचना पत्र की तामीली नहीं हुई है, जबकि अनावेदकगण भूमिस्वामी के पुत्र–पुत्रियां हैं, और उनके निवास के पते भी एक ही है । अतः जब अनावेदक कमांक 1 एवं 2 तहसील न्यायालय में उपस्थित हुए थे, तब अनावेदिका कमांक 3 भी उपस्थित हो सकती थी । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद निरस्त किया गया है, और उसकी अपील भी निरस्त हो गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर जब अनावेदकगण का कोई स्वत्व ही नहीं है, तब नामांतरण से अनावेदकगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होंगे, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लम्बित है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, और गुण–दोष पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतरिम स्वरूप का था, जिसके विरूद्ध अपील नहीं हो सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के दिनांक 9–4–05 की आदेशिका से स्पष्ट है कि अनावेदकगण पर नोटिस तामील नहीं हुआ है, और उसके बाद कोई नोटिस अनावेदकगण को जारी नहीं किया गया है एवं अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अंतरिम आदेश के संबंध में प्रस्तुत तर्क का निराकरण अपर आयुक्त द्वारा किया जा चुका है । तहसील न्यायालय की आदेशिका दिनांक 9–4–05 से स्पष्ट है कि अनावेदकगण को नोटिस तामील हुआ है, और उनकी ओर से अभिभाषक भी उपस्थित हुए हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 14–12–04 की आदेशिका में अनावेदिका कमांक 3 रसीकुन निशा को सूचना पत्र जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है । दिनांक 29–12–04 की आदेशिका में अनावेदिका कमांक 3 को जारी सूचना पत्र अदम तामील प्राप्त होने का उल्लेख है । उसके पश्चात अनावेदिका कमांक 3 को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है, फिर दिनांक 31–3–05 को अनावेदिका कमांक 3 को सूचना पत्र जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है, और दिनांक 6–4–05 की तिथि नियत की गई है । दिनांक 6–4–05 को भी अनावेदिका कमांक 3 पर नोटिस तामील नहीं हुआ है एवं प्रकरण में दिनांक 9–4–05 की तिथि नियत की गई । दिनांक 9–4–05 को सूचना पत्र तामील नहीं होने से पुनः जारी कर चस्पीदगी से तामील किए जाने के निर्देश दिये गये हैं, और प्रकरण में दिनांक 21–4–05 की तिथि नियत की गई है । दिनांक 21–4–05 को प्रकरण आदेशार्थ नियत कर दिया गया है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका कमांक 3 को सूचना पत्र की तामीली विधिवत नहीं कराई गई है, और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को विधिवत सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप जिस पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित किया जा रहा है, उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि अनावेदकगण भूमिस्वामी के पुत्र–पुत्रियां हैं, और उनके निवास के पते भी एक

ही है । अतः जब अनावेदक कमांक 1 एवं 2 तहसील न्यायालय में उपस्थित हुए थे, तब अनावेदिका कमांक 3 भी उपस्थित हो सकती थीं, क्योंकि प्रकरण में जितने भी पक्षकार हैं, उन्हें व्यक्तिशः सूचना पत्र तामील कराया जाना विधिक आवश्यकता है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित है, ऐसी स्थिति में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का स्वत्व नहीं होना माना है, इसलिए नामांतरण से उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होगा, कारण व्यवहार न्यायालय का आदेश अभी अंतिम नहीं हुआ है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कोई स्वत्व नहीं है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–9–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर